

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194

क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2020/3950

दिनांक : 20-8-20

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
राजस्थान जयपुर।

विषय :-Navnera Barrage across River Kalisindh near village Abra Tehsil Digod Distt. Kota (Raj)
under Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) Phase-I (A)
(Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ :-ऑनलाईन ई0डी0एस0 F 14 ()2020/TRANS/FCA/PCCF/EDS-4 Dated 22.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई0डी0एस0दिनांक 29.06.202 की पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक 6567 दिनांक 14.08.2020 एवं उप वन संरक्षक बारां ने पत्रांक 7725 दिनांक 11.08.2020 से कार्यालय में प्रस्तुत की है जो कि निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	EDS	Reply
1	Seal and signature on DGPS map of DCF is not given in both Baran and Kota Division in online proposal.	उप वन संरक्षक बारां एवं कोटा ने निर्देशानुसार DGPS map पर हस्ताक्षर कर मोहर सहित पार्ट-1 में ऑनलाईन अपलोड कर, आक्षेप की पूर्ति कर दी गयी है।
2	Seal and signature on TOPO sheet in not given in both divisions in online proposal.	उप वन संरक्षक बारां एवं कोटा ने निर्देशानुसार TOPO sheet पर हस्ताक्षर कर मोहर सहित पार्ट-1 में ऑनलाईन अपलोड कर, आक्षेप की पूर्ति कर दी गयी है।
3	Gagette notification copies are not given in online proposal and in hard copy of the proposal in both the divisions.	उप वन संरक्षक बारां एवं कोटा ने निर्देशानुसार Gagette notification पार्ट-1 में ऑनलाईन अपलोड कर, हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत की है जिसकी प्रतियां संलग्न प्रेषित है।
4	Calculation of amount of NPV in words for Kota division is in correct.	निर्देशानुसार उप वन संरक्षक कोटा ने NPV की कैलकुलेशन राशि का शब्दों में संशोधन कर संशोधित गणना रिपोर्ट पार्ट-1 में अपलोड कर, हार्डकॉपी कार्यालय में प्रस्तुत की है, जिसकी प्रति संलग्न प्रेषित है।
5	CA Scheme given for NFL and DFL lands by Kota division are in higher side and not justified. These should be rectified as per prevailing models.	उप वन संरक्षक कोटा ने बिन्दु संख्या-5 के क्रम में अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा सी.ए. हेतु जो नोन फोरेस्ट लेण्ड उपलब्ध करवायी जा रही है वह पहले से वनाच्छादित है, उसके बदले भारत सरकार के परिपत्र F.No. 11-423/2011-FC Dated 20 April 2019, अनुसार जो डी.एफ.एल. विभाग के पास उपलब्ध है वह मृदारहित चट्टानी क्षेत्र है। मृदायुक्त भूमि प्लांटेशन कार्य हेतु उपलब्ध नहीं है। ऐसे पठारी क्षेत्र में पूर्व में प्रचलित सी.ए. मॉडल अनुसार सफलतापूर्वक करवाया जाना संभव नहीं है। सी.ए. वृक्षारोपण करवाने के पश्चात सफलतापूर्वक नग्न पठारी भूमि पर जंगल खड़ा करना तब ही संभव होगा जब संलग्न प्रस्तावित सी.ए. मॉडल के अनुरूप राशि स्वीकृत होती है अन्यथा सी.ए. वृक्षारोपण असफल होना सुनिश्चित है। सी.ए. के अपेक्षानुरूप सफलता नहीं मिलन पर विभाग की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा प्रचलित डी.एफ.एल. मॉडल से उक्त साईट पर वृक्षारोपण करवाए जाने पर व्यय की गई राशि westful expenditure होने की पूर्ण संभावना है। अतः उप वन संरक्षक कोटा द्वारा जो मॉडल सी.ए. स्कीम में प्रस्तावित किया गया है, वह तकनीकी रूप से उचित है।
6	Baran DCF has to upload CA Scheme estimate	निर्देशानुसार उप वन संरक्षक बारां ने सी.ए. स्कीम एस्टीमेट पार्ट-1 में ऑनलाईन अपलोड कर हार्ड कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत की है जिसकी प्रतियां संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार पालना रिपोर्ट।

भवदीय

(मनोज कुमार शर्मा)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

G:\FCA letter, 2019.docx297